न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर 317-I/17

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

श्री राम सेवक शर्मा (एडवोकेट) द्वारा आज दि. 23-1-17 को प्रस्तुत

23-1-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1- सूर्यनारायण पुत्र ठाकुरदास

2- मुन्नीबाई पुत्री तेजसिंह कुशवाह

निवासीगण- ग्राम दिगोडा तहसील जतारा

जिला टीकमगढ म0प्र0

--आवेदकगण

बनाम

23-1-17

1- मोहनसिंह पुत्र सीताराम

2- करनसिंह पुत्र सीताराम सेंगार

निवासीगण-ग्राम दिगोडा तहसील जतारा

जिला टीकमगढ म0प्र0

--अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 26-12-16 द्वारा पारित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ प्रकरण क्रमांक 180 /अपील /15-16

श्रीमान जी,

आवेदकगण की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

1- यह कि प्रकरण में वर्णित भूमि के भूमिस्वामी व ~~[illegible]~~ आधिपत्यधारी मृतक राजाराम थे जिनकी मृत्यु के बाद आवेदक क्र.01 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हुयी ~~[illegible]~~ अनावेदकगण द्वारा एक अपील अवधि बाहर उपखण्ड अधिकारी तहसील जतारा के समक्ष प्रस्तुत की जिसके साथ धारा 5 अवधि विधान का प्रस्तुत

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-317-एक/2017 जिला टीकमगढ़ सुर्यनारायण विरूद्ध मोहनसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा उपखण्ड अधिकारी जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 180/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26-12-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 23-01-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

01/2/19

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) सदस्य 01/02/19	